# वर्ष 2019–20 में मा0 आयोग द्वारा निस्तारित कतिपय शिकायती प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

- **श्री अहमद ज़मा, पुत्र श्री नेक मौहम्मद, निवासी–223/8, भोखपुरी, रूड़की–हरिद्वार के शिकायती पत्र का विवरणः–** शिकायतकर्ता का मा0 आयोग को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 21.09.2019 में ग्राम रामपुर, तहसील–भगवानपुर, हरिद्वार में स्थित कब्रिस्तान का अतिक्रमण फयूजन इण्डस्ट्रीज लि0 फैक्ट्री द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण का मा0 आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर अग्रेत्तर कार्यवाही कर फैक्ट्री द्वारा किये गये अल्पसंख्यक कब्रिस्तान के अतिक्रमण को नियमानुसार हटवाया गया। इस हेतु शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग स्तर से अल्पसंख्यकों के हितार्थ त्वरित गति से किये गये कार्य की सराहनीय प्रशांसा करते हुए धन्यवाद पत्र प्रेषित किया गया।

- **श्री रियाजुल अन्सारी, पुत्र श्री आसिम अन्सारी, निवासी–21 बाडी गार्ड कैनाल रोड़, थाना–राजपुर पुलिस चौकी जाखन, देहरादून के शिकायती पत्र का विवरणः–**शिकायतकर्ता का मा0 आयोग को प्रेषित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी की रिहायशी भूमि पर गैर अल्पसंख्यक श्री भरत लाल एवं श्री मनोज कुमार द्वारा उत्पीड़न कर अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रकरण का मा0 आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रार्थी श्री रियाजुल अन्सारी की रिहायशी भूमि के अतिक्रमण को नियमानुसार हटवाया गया। इस हेतु शिकायतकर्ता श्री अन्सारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.03.2020, के माध्यम से मा0 आयोग द्वारा कृत कार्यवाही कर उन्हें न्याय दिलाये जाने हेतु तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद पत्र प्रेषित किया गया।

- **श्रीमती अमिता जैन, स0अ0, वर्णी जैन इण्टर कॉलेज, प्रा0 देहरादून के शिकायती पत्र का विवरणः–**शिकायतकर्ती का मा0 आयोग को प्रेषित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थीनी का शासनानुसार प्राईमरी अनुभाग अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त भी उनका समायोजन नही किया गया है, प्रार्थीनी का अल्पसंख्यक होने के कारण उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रकरण का मा0 आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रार्थीनी का शासनानुसार समायोजन नियमानुसार करवाया गया। इस हेतु शिकायतकर्ती श्रीमती अमिता जैन द्वारा मा0 आयोग द्वारा कृत कार्यवाही, सहयोग एवं प्रयास के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद पत्र प्रेषित किया गया।

- **कु0 वर्षा जैन, स0अ0, निवासी–652, भगीरथ कुंज, गणेशपुर, पूर्वावली, रूड़की–हरिद्वार के शिकायती पत्र का विवरणः–**शिकायतकर्ती का मा0 आयोग को प्रेषित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि बाबू आशाराम रा.उ.प्र.वि. डाडा जलालपुर में कार्यरत अध्यापकों एवं प्रधानाचार्य द्वारा प्रार्थीनी को अल्पसंख्यक होने के कारण बी.आर.एस. लेने तथा प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण को रोके जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण का मा0 आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रार्थीनी का प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण को नियमानुसार रूकवाया गया। इस हेतु शिकायतकर्ती की माता जी श्रीमती सविता जैन मा0 आयोग द्वारा कृत कार्यवाही कर रोके गये स्थानान्तरण हेतु परिवार सहित आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद पत्र प्रेषित किया गया।

- **श्रीमती फुलमिज़रा, पत्नी श्री आरिफ खान, निवासी–ढकरानी, देहरादून के शिकायती पत्र का विवरणः–**शिकायतकर्ती का मा0 आयोग को प्रेषित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पडोसी द्वारा उन्हें झूठे मुकद्मे में फंसाया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कृत कार्यवाही की गयी। पुलिस विभाग द्वारा आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत

कराया गया कि उभय पक्ष एक–दूसरे पर विरूद्ध प्रार्थना–पत्र देते रहे है। मा0 आयोग के निर्देशों के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा शांति व्यवस्था के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की गई।

- **श्री बचन सिंह, के शिकायती पत्र का विवरणः**–शिकायतकर्ती का मा0 आयोग को प्रेषित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री जोतीराम बहुसंख्यक द्वारा उनके साथ–साथ गाली–गलौच, मारपीट एवं उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कृत कार्यवाही की गयी। पुलिस विभाग द्वारा आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता/फैसला हो गया है, जिस हेतु वर्तमान में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

## मा0 आयोग द्वारा शिकायती पत्र के अतिरिक्त अन्य आवेदन–पत्र के क्रम में की गयी कार्यवाही का विवरण

मा0 आयोग में कु0 निंदा अंसारी, दूतीबगढ़, जौलजीवी, धारचूला, पिथौरागढ़ के प्रकरण में संज्ञान में आया कि प्रार्थीनी द्वारा समयान्तर्गत मुख्यमंत्री मेधावी बालिका योजनान्तर्गत आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़ में जमा कराये जाने के उपरान्त भी उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग स्तर से जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से जांचोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ के स्तर पर हुई लापरवाई परिलक्षित होने पर निर्देश पारित किये गये कि कु0 निंदा अन्सारी को मेधावी बालिका प्रोत्साहन की राशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ के वेतन से दी जायें। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा कु0 निंदा अन्सारी को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद मा0 आयोग को उपलब्ध कराई गई।